



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2015 जिला-दतिया

निगारानी 954/15

1. जगन्नाथ पुत्र श्री रमदू चमार,
 2. शीला पत्नि श्री जगन्नाथ चमार,
 3. कालीचरन पुत्र श्री गोपी चमार,
 4. रामकुमारी पत्नि श्री कालीचरन चमार,
 5. आशाराम पुत्र श्री भगिया चमार,
 6. रामदेवी पत्नि श्री देवचरन चमार,
 7. विशुनाथ पुत्र श्री बिजू बरार,
 8. दीनदयाल पुत्र श्री कुजी बरार
- निवासीगण- ग्राम अस्टोट, तहसील भाण्डेर
जिला-दतिया (म.प्र.)

--- आवेदकगण

विरुद्ध

1. मनोहरसिंह पुत्र श्री खेतसिंह अहिरवार
निवासी- ग्राम अस्टोट, तहसील भाण्डेर
जिला-दतिया (म.प्र.)
2. मध्य प्रदेश शासन, द्वारा कलेक्टर, जिला
दतिया (म.प्र.)

--- अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, अनुविभाग भाण्डेर, जिला दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 28/2002-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 28.04.2011 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है कि -

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, ग्राम अस्टोट, तहसील भाण्डेर जिला-दतिया में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 68 रकवा 0.91, सर्वे क्रमांक 145, रकवा 0.80, सर्वे क्रमांक 165 रकवा 0.59, सर्वे क्रमांक 170 रकवा 0.18, सर्वे क्रमांक 389 रकवा 0.34, सर्वे क्रमांक 403 रकवा 0.45, सर्वे क्रमांक 479 रकवा 0.10, सर्वे क्रमांक 579 रकवा 0.86, सर्वे क्रमांक 585 रकवा 0.27, सर्वे क्रमांक 645 रकवा 0.35 कुल किता 10, कुल रकवा 4.85 हैक्टियर भूमि के सम्बन्ध में पटवारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी कि भूमि काबिल कास्त है, इसलिए भूमि का

73

न्यायालय राजस्व मण्डल, म० प्र०, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ


प्रकरण क्रमांक-निग./954/एक/2015

जिला दतिया

जगन्नाथ आदि विरुद्ध मनोहर सिंह आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17/6/19	<p>प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, भाण्डेर जिला दतिया के प्रकरण क्रमांक-28/2002-03/अपील में पारित आदेश दिनांक 28/4/11 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला दतिया के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 9/08/19 को कलेक्टर जिला दतिया के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	

3


(आर०के० जैन) 17/6/19
सदस्य